

कच्चा हस्तान्तरण प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बांदा में लखनपुरा परगना बैरवा में लखनपुरा ग्राम की कुम्हरी की निम्नलिखित अविवृत भूमि (73-11-00) बैरवा की भूमि अधिपता/सहायक अधिकारी के हस्त पर कच्चा भूमि अधिपति अधिनियम 1914 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत हस्तान्तरण किया गया।

इस परिसीमा हेतु ग्राम की कुम्हरी की अविवृत भूमि के लिये धारा 10(1) एवं धारा 9(1) की विवक्षित क्रमशः दिनांक 7-3-55 एवं दिनांक 28-11-55 को जारी हो चुकी है। धारा 9(1) की विवक्षित दिनांक 8-3-55 को एवं धारा 10(1) की विवक्षित दिनांक 8-3-55 को राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है।

नोट—अविवृत भूमि पर वही कच्चा की अविवृति अधिपति निकाय को करनी पड़ेगी।

भूमि अधिपति समीन
कार्यालय-विशेष भूमि अधिपति अधिकारी
नयुक्त (संगठन) बांदा

हस्ताक्षर — बांदा
विशेष भूमि अधिपति कार्यालय
नयुक्त (संगठन) बांदा के हस्ताक्षर

ग्राम नाम—लखनपुरा परगना—बैरवा

ग्रहणील—बैरवा जिला—बांदा

धारा नं०	क्षेत्रफल एकड़	विशेष विवरण	धारा नं०	क्षेत्रफल एकड़	विशेष विवरण
1	2	3	1	2	3
220/1	0-07-00	✓	806/1	0-01-00	अविवृत भूमि
230	0-06-00		806/2	0-04-00	
231	3-10-00	□ मकान रखरि	807	1-11-00	अविवृत भूमि
236	2-03-00		808/1	0-01-00	
237	2-00-00	□ मकान रखरि	808/2	0-01-00	अविवृत भूमि
240	2-06-00		813	2-10-00	
242	3-03-00	□ मकान रखरि	814	3-03-00	अविवृत भूमि
243	3-12-00		816	4-17-00	
735/1	12-00-00	□ मकान रखरि	817	0-15-00	अविवृत भूमि
735/2	5-05-00		821/1	2-12-00	
739	0-06-00	□ मकान रखरि	1232	0-02-00	अविवृत भूमि
800	1-01-00		1233/1	3-15-00	
802	3-03-00	□ मकान रखरि	1273/1	0-16-00	अविवृत भूमि
805	2-04-00			73-11-00	

विना रजमन के सत्यापन के साथ ही 20/6/2008 में
सात लोगन पर कच्चा ग्राफ जारी।

दिनांक

अविवृत भूमि
20/6/2008

कच्चा जाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं परगना
(बीरवा)

कब्जा हस्तान्तरण प्रमाण पत्र

0/70

प्रमाणित किया जाता है कि कब्जे बांदा है -

प्राप्त के निर्माण हेतु प्राप्त -

पहली बार -

कब्जे बांदा की रूपरेखा की निम्नलिखित जलिय भूमि (23-3-00 एकड़) पर दिनांक -

को भी -

अधिकांशी अधिपता/हदायक

निम्नलिखित -

कब्जे बांदा को स्पष्ट पर कब्जा

भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1954 की धारा 30 (1) के अन्तर्गत हस्तांतरित किया गया।

इस परिणाम हेतु प्राप्त की रूपरेखा की जलिय भूमि के लिये धारा 4 (1) एवं धारा 5 (1) की

विशेषिक्त समस्त दिनांक -

एवं दिनांक -

को जारी हो चुकी है। धारा 4

(1) की विशेषिक्त दिनांक 8-3-38 को एवं धारा 5 (1) की विशेषिक्त दिनांक 7-3-38 को

राजपट्ट में प्रमाणित हो चुकी है।

नोट - जलिय भूमि पर सभी प्रकार की सविपूर्ति सम्पत्ति निकाय को करनी पड़ेगी।

भूमि अध्याप्ति समीन

कार्यालय-जिलेय भूमि अध्याप्ति अधिकारी

मुमुता (मुमुता) बांदा

15-6-20 - विशेष भूमि कोरडरी - अधिकारी

संपूर्ण सम्पत्ति अधिपता/हदायक

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम प्राप्त -

परचना -

कब्जा

गहनीय -

दिना-बांदा

धारा नं०

अंशफल एकड़

विशेष विवरण

धारा नं०

अंशफल एकड़

विशेष विवरण

229/10

0-05-00

✓

80/10

0-02-01

प्रमाणित

219

0-05-00

✓

788

0-02-00

✓

809

0-1-00

✓

811

1-02-00

✓

233

0-02-00

✓

811/1

1-06-00

✓

234/1

2-02-00

✓

812

1-08-00

✓

234/2

2-02-00

✓

811/2

1-02-00

✓

235

1-18-00

✓

1231

3-01-00

✓

238

2-02-00

✓

815

3-07-00

✓

239

1-14-00

✓

21-03-00

12-74-00

✓

241

2-08-00

✓

1-13-11

प्रमाणित

✓

801/10

1-13-11

प्रमाणित

✓

803

2-07-00

✓

0-02-05

प्रमाणित

✓

801/10

0-02-05

प्रमाणित

✓

स्वातंत्र्य

1

✓

विनी सत्यापन एवं सिलवट प्रमाणित

दिनांक/5.6.20

माल नगरपालिका कब्जा प्राप्ति दिनांक

9/10/2001

कब्जा देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

81

कब्जा देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं परचना

(बोले)

कब्जा देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं परचना

(बोले)

कब्जा देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं परचना

(बोले)